मूल वाद में डिग्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां
ब इजलास श्री प्रवीण कुमार (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या–27/2017

दौला पिता राधु जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

...............वादी

बनाम

गोकल पिता देराज जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

...........प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी मिनजानिब मुदई श्री धनश्यान धाकड अधिवक्ता वादी, मुदायलह पेश होकर हुकम दिया है डिग्री जारी की जाती है कि :–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम जौलास स्थित आराजी नं0 209 के दक्षिण पश्चिमी मेड पर प्रतिवादी गोकल धाकड को 1 बिस्वा भूमि से बेदखल किया जाकर (कब्जा हटवाया जाकर) भूमि वादी को सिपूर्द कि जावे। खर्चा अपना–अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.01.2018 को जारी की गई।

03.1.18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां (भीलवाड़ा)

नीज ....Nil........ मुबलिग .... Nil .... बाबत् .... Nil ....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil .... फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil .... का अदा करे।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनंफरिक		
मीजान			मीजान		

03.01.18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां (भीलवाड़ा)

हेतुक पत्थरगढी कराये जाने की दिनांक 04.07.2017 से उत्पन्न हुआ जब पत्थरगढी के बाद प्रतिवादीगण द्वारा मुस्तकील मुकाम हटाकर जबरन कब्जा कर लिया एंव वादी द्वारा कहने पर कब्जा छोडने हेतु प्रतिवादीगण इन्कार हो गये व लडाई झगडा करने पर आमदा हो गये तभी से वाद कारण उत्पन्न हो सतत रुप जारी है। वादी स्वयं की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। साथ ही कब्जा प्राप्त होने तक लगान का 50 गुणा मुआवजा भी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने की दिनांक से कब्जा प्राप्ति कर लगान का 50 गुणा मुआवजा बतौर क्षतिपूर्ति प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जावें। वादपत्र वादी डिक्री फरमाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण 1 व 2 महेन्द्र व सुवा न्यायालय में उपस्थित हुये जिनकी पहचान श्री ओमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता द्वारा की गई। लम्बे समय तक अधिवक्ता ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रस्तुत नही कर पेरवी से मना किया तथा प्रतिवादीगण के हाजिर नही होने से प्रतिवादीगण के विरुद्व दिनांक 21.11.2017 को एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

प्रकरण एकपक्षिय होने से तनकीयात कायम नही की गई।

शहादत वादी में वादी शांतिलाल पी.डब्ल्यू I के बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि मेरी खातेदारी की भूमि ग्राम चिताबडा में आराजी नं0 288/42 रकबा 2.10 बीघा स्थित है जो मेरे खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी पेश की जो ईएक्स–1 है मौका पर्चा पत्थरगढी ईएक्स पी–2 है। उक्त भूमि की पत्थरगढी दिनांक 04.07.2017 को कराई उस समय मौके पर 0.05 बीघा भूमि पर महेन्द्र पिता मांगीलाल कंजर व 0.10 बीघा भूमि पर सुवा पिता हिरा कंजर निवासी चिताबडा का कब्जा पाया गया। उक्त भूमि में प्रतिवादीगणों को बेदखल कर मुझ प्रार्थी को 15 बिस्वा भूमि का कब्जा दिलाया जावे।

वादी द्वारा अन्य किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई।

प्रकरण एकपक्षिय होने से बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये निवेदन किया कि भूमि वादी के ग्राम आराजी नं0 288/42 रकबा 2.10 बीघा भूमि खातेदारी में स्थित है मौजा ग्राम चिताबडा पटवार हल्का चान्दजी की खेडी की सरहद में खाता संख्या 5 में अंकित आराजी नं0 288/42 रकबा 2.10 बीघा भूमि वादी खातेदार काश्तकार होकर उनके उपयोग उपभोग में चली आ रही है। तथा वादी वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है एंव लगान राज्य सरकार में जमा करवाता आ रहा है। वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से हक व हिस्सा एंव स्वामित्व निहित नही है एंव न ही वादी द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादी को रहन विक्रय नही की है और न ही वादी ने अपनी सहमती से प्रतवादीगण को कब्जा भी सिपूर्द नही किया है। उक्त भूमि वादी के एकल स्वामित्व की है। सीमाज्ञान दिनांक 04.07.2017 को करवाया गया। जानकारी हुई की वादी की भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा है। वाद डिक्री फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस अधिवक्ता वादी पर मनन किया ।

वादी का वाद है कि बेदखली की डिक्री बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि मौजा चिताबडा कला पटवार हल्का चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियां की सरहद में खाता संख्या 5 में अंकित आराजी नं0 288/42

03.01.18
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

रकबा 2.10 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के खाते की रकबा 05.05 बीघ भूमि एंव प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी के खाते की रकबा 0.10 बीघा भूमि कुल रकब 0.15 बीघा भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे एंव वादग्रस्त आराजी क कब्जा वादी को सिपूर्द किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे। भूमि खातेदारी बाबत नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 तक की प्रस्तुत की है। कब्जे की ताई में सीमाज्ञान ईएक्स पी–2 पर्चे से होती है। यह स्पष्ट है कि वादी ने वादपत्र क साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जबरन प्रतिवादी का कब्जा होने बाबत बयान अकित किया है प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनिय डिक्री किया जाकर ग्राम चिताबडा स्थित आराजी नं0 288/42 रकबा 2.10 बीघा से 0.05 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 तथा 10 बिस्वा भूमि पर से प्रतिवाद संख्या 2 को बेदखल किया जाकर (कब्जा हटवाया जाकर) वादी को सिपूर्द कि जावे। खर्चा अपना–अपना वहन करे।

आदेश आज दिनांक 03.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

03.01.18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया